



OFFICE OF THE PRINCIPAL, GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE,

BILASPUR (C.G.) 495 009

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495009

Phone: 07752-260289, Fax: 07752-260339

वेब साइट www.gecbsp.ac.in

कमांक / स्था-1 / 2013 /

बिलासपुर / दिनांक:

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

इस संस्था की कम्प्युटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी तथा इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से संबंधित प्रयोगशालाओं हेतु प्रयोगशाला तकनीशियन एवं सिविल/मेकेनिकल विभाग हेतु प्लंबर फीटर की सीधी भर्ती हेतु नियमानुसार योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है -

सारणी-1

क्र.	पदनाम एवं वेतनमान	पद संख्या	वर्ग प्रवर्ग	शैक्षणिक अर्हता
1	2	3	4	5
1	प्रयोगशाला तकनीशियन वेतनमान 5200-20200 / - ग्रेड पे 2400 / -	04	अनु.जनजाति 01 मुक्त अनारक्षित 02 मुक्त अ.पि.व. 01 मुक्त	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इंजीनियरिंग की समुचित (अर्थात् कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग, या इनफारमेशन टेक्नालॉजी, या इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन, या इंस्ट्रुमेंटेशन या समकक्ष) शाखा में पत्रोपाधि
2.	प्लम्बर फीटर वेतनमान 5200-20200 / - ग्रेड पे 1900 / -	01	अनारक्षित 01	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित ट्रेड में सक्षमता प्रमाण पत्र तथा संबंधित ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव

नियम एवं शर्तें -

- सारणी-1 के कालम 4 में मुक्त का अर्थ है कि इन वर्गों की महिला, भूतपूर्व सैनिकों व विकलांगों हेतु पृथक से कोई पद आरक्षित नहीं है। अपितु यह इन मुक्त पदों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित पद हेतु किसी भी वर्ग के योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
- उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है, पदों की संख्या कम/अधिक करने के लिए अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा।
- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
- आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है।
- उपरोक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र के साथ पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा जारी **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** तथा छानबीन समिति द्वारा **जाति का सत्यापन प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करना **अनिवार्य** होगा।
- आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यर्थी के द्वारा भर्ती आवेदन में किसी भी तरह के परिवर्तन के आवेदन मान्य नहीं होंगे।
- आयु:- विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा में छूट छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2005 व समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशानुसार मान्य होगी।
- आवेदक को आवेदन नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- उम्मीदवारों का चयन, चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत मेरिट लिस्ट तैयार कर किया जावेगा, मेरिट लिस्ट निम्नानुसार बनाई जाएगी।

सारणी-2

1	न्यूनतम अर्हता	80 अंक (अधिकतम)
2	उच्च योग्यता	05 अंक (केवल डिप्लोमा एवं स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि ही मान्य होंगे।)
3	अपेक्षित अनुभव	10 अंक (एक वर्ष के लिए 2 अंक)
4	साक्षात्कार	05 अंक (अधिकतम)

आवेदन पत्रों की संख्या रिक्त पदों की संख्या से दस गुणा से अधिक होने पर साक्षात्कार के पूर्व न्यूनतम अर्हता, उच्च योग्यता व अनुभव के आधार पर प्रारंभिक चयन सूची बनाई जाएगी। इस तरह बनाई गई प्रारंभिक चयन सूची के प्रथम दस उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। यदि प्रारंभिक चयन सूची में दसवें स्थान पर आए उम्मीदवार के बराबर और भी उम्मीदवारों के अंक हैं, तो उन्हें भी साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

- विभिन्न पदों हेतु सारणी-1 में शैक्षणिक अर्हता दी गई है, अभ्यर्थी यह स्वयं सुनिश्चित करें कि वह यह अर्हताधारी है। इसी अर्हता की अंक सूची के आधार पर उसे सारणी-2 में उल्लेखित अधिकतम 80 अंक दिए जाएंगे। इससे उच्च अर्हता हेतु संबंधित अंक सूची के आधार पर अधिकतम 05 अंक दिए जाएंगे।
- उच्च योग्यता हेतु सारणी-2 में दिए गए अधिकतम 05 अंक एवं अनुभव हेतु अंक तभी दिए जाएंगे जब वह समुचित शाखा या कार्य का हो। शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में ही कार्य का अनुभव मान्य होगा।
- साक्षात्कार उपरांत चयनित उम्मीदवार को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।
- किसी भी पद हेतु चयन प्रक्रिया किसी भी समय नियोक्ता द्वारा स्थगित, लंबित या निरस्त की जा सकती है।
- अन्य सभी शर्तें छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2005 व छ.ग.सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती हेतु प्रसारित निर्देशानुसार हैं।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

- आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप में सभी सहपत्रों को टेग लगाकर ही प्रस्तुत किए जाए।
- आवेदन पत्र ए-4 साइज के पेपर पर कम्प्यूटर टाइप एवं स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। फोटो को चिपकाने के उपरांत एवं समस्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- यदि उम्मीदवार एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक से आवेदन करना होगा।
- पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 04-03-2013, चार मार्च दो हजार तेरह तक सायं 5 बजे तक 24.5X30.5 CM के बन्द लिफाफे में जिसमें स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो प्राचार्य, कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/पी.एण्ड. टी. विभाग से अधिकृत कोरियर द्वारा ही भेजें। अन्य माध्यम अथवा व्यक्तिगत रूप से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डाक के विलंब हेतु संस्था जिम्मेदार नहीं होगी।
- निर्धारित तिथि व समय के उपरान्त या पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक के विलंब हेतु संस्था जिम्मेदार नहीं होगी।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- स्वयं का पता लिखा हुआ एक 23X10 CM का लिफाफा जिस पर रजिस्ट्री हेतु 22 रुपये की डाक टिकट चस्पा की गई हो, आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मण्डलों अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थानों के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

- प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण होने के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये, उसका आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की है, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित अर्हताएं व शर्तें पूर्ण करता है। आवेदन प्रस्तुत कर देने मात्र से यह अर्थ नहीं है कि उसे योग्य मान लिया गया है।

आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति

प्राचार्य
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर
पो.आ. कोनी
जिला- बिलासपुर छ.ग. पिन 495009

यहाँ राजपत्रित अधिकारी
द्वारा सत्यापित वर्ष 2012
में लिया गया कलर
पासपोर्ट साइज फोटो
लगाएं

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदक का नाम हिन्दी में
3. आवेदक का नाम अंग्रेजी में
4. राष्ट्रीयता
5. पिता/पति का नाम
6. पत्र व्यवहार का पता :
-
-
- एसटीडी कोड सहित फोन नंबरमोबाइल नंबर
7. ई-मेल आईडी
8. लिंग (पुरुष/महिला)
9. आवेदक की जन्म तिथि (दसवीं की अंकसूची अनुसार)
अंकों में
- शब्दों में.....
10. दिनांक 01.01.2014 को आयु : वर्ष माह..... दिन.....
11. यदि आयु में छूट चाहिए तो नियम का उल्लेख करें व बताएं कितनी छूट चाहिए:
-
12. वैवाहिक स्थिति विवाहित/अविवाहित/विधवा/परित्याक्ता
13. यदि विवाहित हैं तो विवाह का दिनांक
14. क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डिक प्रकरण किन्हीं पुलिस थानों/न्यायालयों में लंबित है अथवा किसी न्यायालय द्वारा निराकृत हो चुके हैं, अथवा सजा मिल चुकी है। यदि हां तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय की जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें व निर्णय की प्रति लगाएं ।
-
-
15. संतानों की संख्या (प्रत्येक की जन्मतिथि सहित)
-

16. वर्ग: सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग :

17. शैक्षणिक योग्यता : 10 वी से प्रारंभ करके विवरण भरें :

क्र	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय.	विषय	परीक्षा में पूर्णांक	परीक्षा में प्राप्तांक	प्राप्त प्रतिशत	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

18 अनुभव : कुल वर्षमाह.....दिन.....

क्र.	पदनाम	नियोक्ता संस्था का नाम	वेतनमान	सेवा अवधि		
				वर्ष	माह	दिन

जिन प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जानी है उनकी सूची:

1. जन्म तिथि के सत्यापन हेतु 10 की अंकसूची
2. यदि उत्तीर्ण की हो तो 12 की अंकसूची
- 3- यदि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हों तो स्थाई जाति प्रमाण-पत्र एवं उसका सत्यापन।
- 4- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी/स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र।
- 5- न्यूनतम अर्हता संबंधी अंकसूची
- 6- यदि हो तो उच्चतर अर्हता संबंध अंकसूची
- 7- यदि अनुभव हो तो नियोक्ता के आफिसियल लेट हेड पर प्रमाण-पत्र
- 8- यदि कार्यरत हैं तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र की **मूलप्रति**
- 9- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन
- 10- यदि आयु में छूट चाहते हैं तो संबंधित प्रमाण-पत्र
- 11-अभ्यर्थी के विरुद्ध यदि कोई न्यायालयीन निर्णय हो तो उसकी प्रति
- 12-अन्य कोई प्रमाण-पत्र जो अभ्यर्थी उचित समझे।

संलग्न प्रमाण-पत्रों की कुल संख्या.....

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतः सत्य हैं, तथा आवेदित पद हेतु मैं आवश्यक अर्हताधारी हूँ व किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार अपात्र नहीं हूँ। इसमें से कोई जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यावाही की जा सकेगी, ऐसी परिस्थितियों में नियुक्तकर्ता अधिकारी को बिना कारण बताए मेरा चयन/नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार होगा व उसका निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक

आवेदक का नाम :-